समेकित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019

(दिनांक 16.10.2023 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम का क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019	82/सीएसईआरसी/2019	05.10.2019
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम 2021	93/सीएसईआरसी/2021	27.12.2021
शुद्धिपत्र – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इन्टरेक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021	98/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2022	25.01.2023
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023	106/सीएसईआरसी/2023	16.10.2023

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,

विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर 2019

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019

क्रमांक 82/सीएसईआरसी/2019 – स्वभाव से पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण केन्द्र सरकार, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के विकास पर जोर दे रही है। विद्युत अधिनियम, 2003, भी इसके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नीति बनाये जाने का उपबंध करता है तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों (राज्य आयोगो) को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के उन्नयन हेतु उपाय करने की आज्ञा देता है।

सन् 2014 में, केन्द्र सरकार ने, वर्ष–2022 तक, छतों पर ग्रिड से संयोजित फोटोवोल्टाइक (जी. आर. पी. व्ही.) प्रणाली की कुल संचित क्षमता 40 गीगा वॉट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, राज्य सरकारों और नियामकों की सहभागिता से शीर्ष से नीचे की ओर प्रोत्साहन (टॉप–डॉउन इंपेटस) और नीचे से ऊपर की ओर कियान्वयन (बॉटम अप एक्सीक्यूशन) का योजनाबद्ध संयोजन करते हुए, केन्द्र सरकार ने छतों के उपर सौर प्रक्षेत्रों को उन्नत करने हेतु कई उपाए अपनाये हैं ।

केन्द्र सरकार के नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.), के दिशानिर्देशों के, अनुसार, न्यूनतम 01 किलो वॉट की क्षमता का सौर ऊर्जा पी.व्ही. संयंत्र, ग्रिड संयोजन के लिए पात्र है। अधिकांश राज्यों के छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित विनियमों में ऐसे संयंत्र के लिए नेट मिटरिंग और न्यूनतम 1 किलो वॉट क्षमता के संयंत्रों के लिए ग्रिड संयोजन की व्यवस्था है।

विनियामक मंच भी ग्रिड इंटरेक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा के विकेन्द्रित स्त्रोंतो के लिए वर्ष 2019 के अप्रेल माह में आदर्श विनियमों का प्रारूप लेकर आया है।

इसके अलावा, ऐसी परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपार्जित विद्युत को उसके नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता के लिए भी अर्हित किया जा सकता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42, 61, 86 सहपठित धारा 181 के अधीन विहित शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सशक्त करने वाली सभी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग), एतद् द्वारा, राज्य में विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ हेतु निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता हैः—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम, राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में होगा।

2. परिभाषायें एवं निर्वचन

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसमें हुए पश्चात्वर्ती संशोधन;

(ख) **''अनुबंध''** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी और किसी व्यक्ति के मध्य निष्पादित अनुबंध;

(ग) **''देयक चक्र (बिलिंग साइकल) या देयक अवधि (बिलिंग पीरियेड)''** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट वह अवधि, जिसके लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न संवर्गों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत देयक तैयार किया जाता है;

[2]{(ग)(क) **''बैंकिंग चक्र''** वित्तीय वर्ष के समान होगा।}[2]

(घ) **''आयोग''** से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(ड.) **''अनुबंधित मांग'' या ''स्वीकृत भार''** से अभिप्रेत है किलोवॉट, किलोवोल्ट एम्पियर या ब्रेक हार्स पॉवर (बी.एच.पी.) में अभिव्यक्त वह अधिकतम मांग, जिसकी आपूर्ति किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हो और जिसे अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध में दर्शाया गया हो;

परन्तु, बहुमंजिला इमारतों (आवासीय अथवा व्यवसायिक) के संबंध में अनुबंधित मॉग से तात्पर्य सामुहिक उपयोग हेतु रक्षित क्षेत्र/सुविधाओं सहित सभी व्यक्तिगत इकाईयों के भार के योग से होगा।

(च) **''विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई)''** से अभिप्रेत है रूफटॉप सोलर पीव्ही प्रणाली या आयोग द्वारा समय समय पर अनुमोदित अथवा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, द्वारा मान्यता प्राप्त नवीकरणीय स्त्रोतो के अन्य प्रकारों द्वारा 132 किलोवोल्ट या उससे कम के वोल्टेज स्तर पर विद्युत प्रणाली में प्रवाहित की गई विद्युत;

2. विनियम क्रमांक 106/सीएसईआरसी/2023 द्वारा दिनांक 16.10.2023 के द्वारा जोड़ा गया

(छ) **''वित्तीय वर्ष'' या ''वर्ष ''** से अभिप्रेत है अंग्रेजी कैलेण्डर वर्ष में एक अप्रैल से शुरू होने वाली तथा आगामी वर्ष के इक्कतीस मार्च को समाप्त होने वाली अवधि;

(ज) **''उत्पादन मीटर''** से अभिप्रेत है वह ऊर्जा मीटर, जो उस बिन्दु पर संस्थापित हो जिस पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत किसी पात्र उपभोक्ता को प्रदाय/वितरीत की जाए;

[2]{(ज)(क) **''हरित ऊर्जा''** से अभिप्रेत है हाइड्रो और भंडारण (यदि भंडारण में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है) या किसी अन्य प्रौद्योगिकी सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये तथा इसमें, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के नियम 4 के उप–नियम (2) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई तंत्र सम्मिलित है।}[2]

(झ) **''ग्रिड योग्य ऊर्जा''** से अभिप्रेत है ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों, जिसमें भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, द्वारा निर्धारित स्तर एवं विशेषताओं से युक्त उपकरणों का उपयोग किया गया हो, द्वारा उत्पादित विद्युत;

(ञ) **''होस्टींग क्षमता''** से अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन परिभाषित क्षमता;

(ट) **''स्वतंत्र विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली''** या **''आईडीआरईएस''** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा संस्थापित वह विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से संयोजित हो और जो विद्युत क्रय अनुबंध के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अथवा सुगम्यता के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत की आपूर्ति करता हो अथवा उसका स्वयं उपभोग करता हो ;

(ठ) **''आईडीआरईएस स्वामी''** वह व्यक्ति है जो आईडीआरईएस सयंत्र का स्वामी है;

(ड) **''अन्तर–संयोजन बिन्दु''** से अभिप्रेत है पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कट–आउट्स/स्वीचगियर के निकासी बिन्दु का नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से संयोजन का बिन्दु ;

परंतु यह कि उच्चदाब (एच टी) के स्तर में संयोजित पात्र उपभोक्ता की दशा में, ''अंतर–संजोयन बिन्दु'' से अभिप्रेत होगा ऐसे उपभोक्ता के उपकरण समूह के पास स्थापित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मीटरींग क्यूबिकल के निकासी बिन्दु का नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से संयोजन का बिन्दु;

(ढ) **''बीजक/देयक (इन्व्हाइस)''** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी कोई मासिक बिल/अनुपूरक बिल अथवा मासिक बीजक/अनुपूरक बीजक;

(ण) **''कि.वा.पी.''** से अभिप्रेत है किलो वॉट पीक;

(त) **''नेट मीटर''** या ''**उभयमार्गीय मीटर**'' (बाई डायरेक्शनल मीटर) से अभिप्रेत है वह ऊर्जा मीटर, जो विद्युत के आयात एवं निर्यात दोनों को दर्ज करने में समर्थ हो;

(थ) **''नेट मीटरिंग''** से अभिप्रेत है ऐसी व्यवस्था, जिसके अधीन, किसी पात्र उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित, विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजना से, किसी बिलिंग अवधि के दौरान, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस उपभोक्ता को प्रदान की गई विद्युत का समायोजन करने के पश्चात्, उस परियोजना से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की गई अतिशेष विद्युत की मात्रा ज्ञात हो;

2. विनियम क्रमांक 106/सीएसईआरसी/2023 द्वारा दिनांक 16.10.2023 के द्वारा जोड़ा गया

(द) **''बाध्य इकाई''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 (1) (ई) के अधीन आज्ञापित तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2016 के अधीन चिन्हांकित इकाई;

(ध) **''परिसर''** से अभिप्रेत है किसी भूमि, भवन या अधोसंरचना पर निर्मित छतोपरि अथवा उत्थीत क्षेत्र या उसका कोई भाग अथवा उनका समुच्चय, जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय करने के लिए पृथक मीटर या मीटरींग व्यवस्था की गई हो;

(न) **''प्रोज्युमर''** वह व्यक्ति है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करता है तथा जो उसी नेटवर्क का उपयोग कर ग्रिड में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा भी अंतःक्षेपित कर सकता हो;

(प) **''प्रोज्युमर विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली''** या ''पीडीआरईएस'' से अभिप्रेत है नेट मीटरींग के अंतर्गत प्रोज्युमर द्वारा स्थापित विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली;

(फ) ''**नवीकरणीय ऊर्जा''** से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतो से उत्पादित ग्रिड गुणवत्ता की विद्युत और उसमें ऐसे स्त्रोतो का समुच्चय भी शामिल है;

(ब) ''**नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)''** से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता एवं जारी करने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुरूप जारी प्रमाणपत्र;

(भ) ''**नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली''** से अभिप्रेत है ऐसा उत्पादन केन्द्र जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से या उसके समुच्चय से विद्युत उत्पादित करता हो;

(म) ''**छतोपरि सौर पी.व्ही. प्रणाली''** से अभिप्रेत है उपभोक्ता के परिसर की छतो पर संस्थापित वह सौर फोटो वोल्टिक विद्युत प्रणाली, जो कि फोटो वोल्टिक टेक्नालॉजी के माध्यम से विद्युत में सीधे संपरिवर्तन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता हो;

(य) **''व्यवस्थापन अवधि''** से अभिप्रेत है वह अवधि जिसके अंत में वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं प्रोज्युमर के मध्य नेट मीटरिंग का व्यवस्थापन, सामान्यतः अंग्रेजी कैलेण्डर वर्ष के अप्रेल माह के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली तथा आगामी वर्ष के मार्च के इक्कतीस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि पर संघटित होता है;

(र) **''राज्य नोडल एजेंसी''** या **''एसएनए''** से अभिप्रेत है राज्य में स्थित इकाई, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा, विकेन्द्रित ऊर्जा परियोजना आदि को विकास करने वाले व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृति एवं अदायगी के समन्वयकृत विकास से संबंधित विषयों को निराकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया हो;

(कक**)** **''अन्य पक्ष के स्वामित्व**'' से अभिप्रेत है, ऐसा स्वामित्व जिसमें कोई डेवलपर, जो किसी ऐसी सौर ऊर्जा परियोजना का स्वामी है, जो उस परिसर पर स्थापित है, जो उसके द्वारा परिसर के स्वामी से व्यावसायिक पट्टे पर ली गई हो अथवा आय में हिस्सेदारी के अनुबंध के आधार पर प्राप्त की गई हो;

(खख) ''**उपयोगी जीवनकाल**'' किसी छतोपरि, पी.व्ही सौर उत्पादक केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, 25 वर्ष।

2.2 सभी अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में प्रयुक्त है यद्यपि इसमें विशिष्ट रूप से परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है। अन्य शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु इन विनियमों या अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नही है किन्तु राज्य में विद्युत उद्योग को

लागू संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन, परिभाषित है; उनके वही अर्थ होंगे जैसा कि ऐसे विधि में उनके लिये समनुदेशित है।

3. विस्तार तथा लागू होना

3.1 ये विनियम निम्नलिखित को लागू होगा–

क) प्रोज्युमर अथवा अन्य पक्ष के स्वामित्व के पीडीआरईएस। अन्य पक्ष के स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा परियोजना पर निम्नलिखित लागू होंगेः–

एक. छत या भूमि का स्वामी अपना परिसर किसी सौर ऊर्जा डेव्हलपर को परस्पर वाणिज्यिक व्यवस्था के आधार पर पट्टे अथवा भाड़े पर दे सकेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिसर का स्वामी किसी टर्नकी इन्स्टालर को परियोजना की रूपरेखा बनाने और उसे स्थापित करने का कार्य सौंपेगा। परियोजना डेव्हलपर और परिसर के स्वामी के मध्य कोई वाणिज्यिक व्यवस्था की जानकारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष अभिलेख में रखे जाने हेतु प्रस्तुत की जावेगी।

दो. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिलिंग दोनों में से किसी एक को जारी की जायेगी जैसा कि उभयपक्षों द्वारा तय कर उसे संसूचित किया जावेगा।

ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय के क्षेत्र में संस्थापित आईडीआरईएस।

3.2 ये विनियम किसी व्यक्ति को वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने से नहीं रोकेंगे।

3.3 अधिनियम की धारा 42(2) के अधीन सुगम्यता अभिप्राप्त करने वाले उपभोक्ता भी अपने परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकेंगे बशर्ते वह आईडीआरईएस के अधीन है।

4. नियंत्रण अवधिः

4.1 ये विनियम, राजपत्र में अपने अधिसूचन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

5. वेब आधारित आवेदन प्रक्रिया

5.1 इन विनियमों के अधिसूचन की तारीख से तीन माह के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए आवेदन पर कार्यवाही हेतु एक वेब आधारित प्रणाली लागू करेगा।

5.2 अनुदान संबंधी आवेदनो का निराकरण राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

6. निगरानी एवं प्रतिवेदन हेतु व्यवस्था

6.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक तिमाही में अपनी वेबसाइट पर विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) हेतु उस अवधि में वितरण तंत्र के प्रत्येक अवयवों की बढ़ाई गई क्षमता और संचयी क्षमता से संबधित जानकारी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

6.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन से एक माह के भीतर बढ़ाई गई क्षमता और विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से अभिप्राप्त ऊर्जा की जानकारी प्रस्तुत करेगा।

भाग–क

नवीकरणीय क्रय बाध्यता

7. सामान्य सिद्धांत

7.1 नवीकरणीय क्रय बाध्यता

विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की वह मात्रा जो उत्पादन मीटर द्वारा दर्ज की गई, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) पूर्ण करने में लायी जा सकेगी, जैसा कि इन विनियमों में प्रावधान किया गया है।

परंतु ऐसी दशा में जबकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली किसी दायित्वाधीन एकक द्वारा स्थापित की गई हो तो ऐसी प्रणाली द्वारा किया गया नवीकरणीय ऊर्जा का समस्त उत्पादन का उपयोग उस दायित्वाधीन एकक के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता के लेखे में किया जावेगा।

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र के अंतर्गत शामिल होने हेतु पात्रता

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता एवं जारी करने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदण्ड के अधीन, राज्य के किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित ऊर्जा हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

[2]{7.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, संबंधित इकाई के नवीकरणीय क्रय बाध्यता से परे उनके अनुरोध पर क्रमशः उपभोक्ताओं, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की गई हरित ऊर्जा के लिए, वार्षिक आधार पर हरित प्रमाणपत्र देगा।

7.4 कैप्टिव उपयोगकर्ता(उपयोगकर्ताओ) को छोड़कर कोई भी उपभोक्ता, जिसकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खण्ड में स्थित सिंगल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या उससे अधिक है या बहुविध कनेक्शनों के माध्यम से 100 किलोवाट या उससे अधिक है चाहे वह बाध्य हो या नहीं, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अध्यपेक्षा (मांग) करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, क्रय और उपभोग करने का विकल्प चुन सकता है।

विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी संहिता या विनियमों में निहित होते हुए भी, 500 कि.वॉ. तक स्थापित क्षमता के सौर उर्जा उत्पादन संयंत्रों को समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर और आर.टी.यू., मुख्य और चैक ए.बी.टी. मीटर की स्थापना की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, कुसुम योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी सौर उर्जा उत्पादन संयंत्र 11 कि.वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज पर 2000 कि.वॉ. तक स्थापित कर सकते हैं और ऐसे सौर उर्जा संयंत्रों को समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर कनेक्टिविटी और आर.टी.यू., मुख्य और चैक ए.बी.टी. मीटर की स्थापना की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(क) कैप्टिव उपभोक्ता को छोड़कर उपरोक्त अनुच्छेद 7.4 मे निर्दिष्ट, कोई भी उपभोक्ता, चाहे वह बाध्य हो या नहीं, या तो खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक या इसकी संपूर्ण खपत तक, हरित ऊर्जा क्रय करने का चयन कर सकता है और वे, इसके लिए अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास एक

अध्यपेक्षा (मांग) रख सकते हैं, जो इतनी मात्रा में हरित ऊर्जा क्रय करेगा और इसकी आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता को, सौर और गैर–सौर के लिए अलग–अलग अध्यपेक्षा (मांग) देने की छूट होगी।

(ख) कैप्टिव उपभोक्ता को छोड़कर उपरोक्त अनुच्छेद 7.4 मे निर्दिष्ट उपभोक्ता, स्वैच्छिक आधार पर अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय कर सकता है, जितना वह करने के लिए बाध्य है, और कार्यान्वयन में आसानी के लिए, यह पच्चीस प्रतिशत के चरणों में हो सकता है और सौ प्रतिशत तक जा सकता है।

(ग) हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ, आयोग द्वारा पृथक से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूलित बिजली क्रय लागत, क्रॉस–सब्सिडी शुल्क, यदि कोई हो, और हरित ऊर्जा प्रदान करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विवेकपूर्ण लागत को कवर करने वाले सेवा शुल्क शामिल होंगे।

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा की कोई भी अध्यपेक्षा (मांग), न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(ड.) हरित ऊर्जा की मात्रा, कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्व–निर्दिष्ट होगी।

(च) किसी भी वित्तीय वर्ष में वितरण अनुज्ञप्तिधारी से या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बाध्य इकाई के नवीकरणीय खरीद दायित्व से अधिक्य क्रय की गई हरित ऊर्जा को बाध्य इकाई द्वारा आगामी वर्ष के क्रय दायित्व के पालन हेतु विचार किया जायेगा।}[2]

भाग–ख

तकनीकी मानक एवं सुरक्षा, मीटरिंग अधोसंरचना

8. ग्रिड से अंतरसंयोजनः तकनीकी मानक एवं सुरक्षा

8.1 [1]{ग्रिड के साथ इंटरकनेक्शन के लिए वोल्टेज स्तर वह वोल्टेज स्तर होगा जिस पर उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त कर रहा है।

परंतु नेट मिटरिंग फ्रेमवर्क के तहत अक्षय ऊर्जा परियोजना को निष्पादित करने वाले एचटी उपभोक्ता अपने एलटी बस बार में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को जोड़ सकते हैं। मीटरिंग एचटी लेवल बस बार में उसी वोल्टेज पर की जाएगी जिस पर उपभोक्ता वर्तमान में वितरण लाइसेंसधारी के साथ जुड़ा हुआ है।

8.2 अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (विकेन्द्रित उत्पादन स्त्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार होगा।

8.3 अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के अंतरसंयोजन की पुष्टि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी (सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय संबंधी मानदण्ड) विनियम, 2010 के सुसंगत प्रावधानों एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार की जायेगी।}[1]

8.4 प्रोज्युमर नेट मीटर के बिन्दु तक, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के सुरक्षित संचालन, अनुरक्षण एवं उस प्रणाली में किसी खराबी के सुधार के लिए उत्तरदायी होगा, विद्युत वितरण प्रणाली के सुरक्षित संचालन, अनुरक्षण और किसी खराबी के सुधार की जिम्मेदारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की होगी।

1. विनियम क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से प्रतिस्थापित
2. विनियम क्रमांक 106/सीएसईआरसी/2023 द्वारा दिनांक 16.10.2023 द्वारा जोड़ा गया

8.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी दुर्घटना या क्षति के रोकने के लिए किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से खतरा/क्षति की दशा में किसी भी समय, कोई सूचना दिये बिना, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को डीसकनेक्ट (असंयोजित) करने का अधिकार होगा। इसके वितरण प्रणाली हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त समय के भीतर खराबी को सुधार करने हेतु प्रोजुमर को बुला सकेगा।

8.6 नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, अनपेक्षित आईलैंडिंग स्थिति का पता लगाने में समर्थ होना चाहिए। प्रणाली में प्रदाय या ग्रिड के विफल होने की दशा में ग्रिड में किसी फीडिंग को रोकने हेतु आईलैंडिंग विरोधी (एंटी आईलैंडिंग) सुरक्षा होना चाहिए। आईलैंडिंग सुरक्षा उपायों के परीक्षण के लिए ग्रिड संयोजित इंवर्टर हेतु प्रयोज्य आईईसी/आईईईई तकनीकी मानको का अनुपालन किया जायेगा।

8.7 प्रोज्युमर, बैटरी बैकअप सहित या उसके बिना भी ग्रिड इंटरेक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित कर सकेगाः

परंतु यह कि यदि उपभोक्ता, बैटरी बैकअप (पूर्ण भार बैकअप/आंशिक भार बैकअप) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने को प्राथमिकता देता है तो ऐसे सभी मामलों में ग्रिड से आपूर्ति न होने पर बैटरी पावर को ग्रिड में प्रवाहित होने से रोकने हेतु समुचित व्यवस्था इन्वर्टर में होनी चाहिए। मेन्युअल आईसोलेशन स्वीच भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

8.8 प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, आटोमेटिक सिन्क्रोनाइजेशन डिवाइस से सज्जित होनी चाहिएः

परंतु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में इंवर्टर का उपयेाग किया जा रहा हो तो ऐसी दशा में अलग से सिन्क्रोनाइजिंग डिवाइस होना आवश्यक नहीं होगा यदि यह इंवर्टर में अन्तर्निहित हो।

8.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली में ऊर्जा अंतःक्षेपित करने के पूर्व उसमें से हारमोनिक्स एवं अन्य विकृतियॉ अलग करने की क्षमता इंवर्टर में होनी चाहिए। कुल वोल्टेज हारमोनिक डीसटोरशन (व्हीएचडी), भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी)/आईईईई तकनीकी मानकों में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर होना चाहिए।

9. मीटरिंग अधोसंरचना

9.1 नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में संस्थापित सभी मीटर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन एवं प्रवर्तन) विनियम, 2006 एवं इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुरूप होने चाहिए।

9.2 सभी मीटर, आरएस 485 (या अधिक) कम्युनिकेशन पोर्ट सहित एडवांस मीटरिंग अधोसंरचना (एएमआई) सुविधा से युक्त होने चाहिए।

9.3 उत्पादन एवं नेट मीटर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपाप्त, संस्थापित एवं अनुरक्षित किए जायेंगे। तथापि, यदि प्रोज्यूमर मीटर उपाप्त करने का इच्छुक है, तो वह उपाप्ति के पश्चात् मीटर परीक्षण एवं संस्थापन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करेगा और उनका अनुरक्षण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।

9.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मीटर के सत्यता सुनिश्चित करने हेतु संस्थापन के पूर्व मीटर की जॉच करेगा। मीटर की जॉच उसके प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित संभागीय कार्यालय में पूरी की जायेगी।

[1]{परंतु यदि अभियोक्ता द्वारा मीटर खरीदे जाते है और यदि वह राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड (एन.ए.बी.एल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त वैध मीटर परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो इसे वितरण लाइसेंसधारी से मीटर परीक्षण करवाने की आवश्यकता नही होगी।}[1]

1. विनियम क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से प्रतिस्थापित

9.5 मीटर का, प्रोज्युमर या अन्य पक्ष के स्वामी दोनों, जैसी भी स्थिति हो, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा, संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीलबंद किया जायेगा।

9.6 विद्युत प्रदाय संहिता में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, प्रोज्युमर या अन्य स्वामी के प्रतिनिधि या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति में ही मीटर का परीक्षण या जांच की जायेगी।

9.7 यदि पात्र उपभोक्ता, ''टाईम ऑफ डे टैरिफ'' (टीओडी) के अधीन आते हों तो उत्पादन एवं नेट मीटर टाईम ऑफ डे उपभोग/उत्पादन के समय को दर्ज करने में समर्थ होना चाहिए।

9.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अधिसूचन की तिथि से तीन माह के भीतर मीटर व्यवस्था सुलभ कराने हेतु, विद्यमान बिलिंग अधोसंरचना को परिवर्धित करेगा। जैसा कि इन विनियमों में प्रावधान किए गए हैं।

भाग –ग
नेट मीटरिंग व्यवस्था

10. प्रोज्युमर एवं परियोजना क्षमता

10.1 प्रोज्युमरः

क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई भी उपभोक्ता, इन विनियमों में यथा वर्णित तकनीकी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के अधीन विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने हेतु पात्र होगा तथा वह प्रोज्युमर कहलायेगा।

ख) प्रोज्युमर स्वयं पीडीआरईएस होगा अथवा वह किसी अन्य पक्ष के स्वामित्व में पीडीआरईएस की स्थापना के लिए उस अन्य पक्ष के साथ अनुबंध निष्पादित कर सकेगा।

ग) प्रोज्युमर इन विनियमों के अंतर्गत पीडीआरईएस स्थापित करने हेतु नेट मीटरिंग प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

[1]{परंतु यह कि प्रोज्युमर ग्रिड के एक ही अंतःक्षेपण बिन्दु (इंजेक्शन प्वाईंट) का उपयोग कर दो या अधिक प्रणाली स्थापित करने का पात्र होगा। }[1]

10.2 वैयक्तिक परियोजना क्षमता

क) [1]{पीडीआरईएस की क्षमता प्रोज्युमर के स्वीकृत भार/संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी। परन्तु यह कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत स्थापित किये जाने की जा सकने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अधिकतम आकार 500 किलोवाट होगा।

परंतु यह कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किये जाने योग्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार 1 कि.वा. का होगा। }[1]

ख) प्रोज्युमर को बैटरी भंडारण के साथ विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी।

1. विनियम क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से अंतःस्थापित

11. नेट मीटरिंग व्यवस्था

क) प्रोज्युमर वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उपभोग हेतु ली गई विद्युत से अपने (प्रोज्युमर के) विद्युत उपभोग को समायोजित करने हेतु विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकेगा।

ख) प्रोज्युमर के परिसर में संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से प्रयोज्य बिलिंग अवधि के दौरान वितरण अनज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत के समायोजन के पश्चात् यदि कोई विद्युत शेष हो, तो ऐसी शेष विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की जा सकेगी।

ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, समायोजन अवधि के समापन पर किसी पीडीआरईएस द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा उस न्यूनतम छतोपरि सौर टैरिफ पर उपार्जित कर सकेगा, जो उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में करायी गई प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो। यदि ऐसा टैरिफ उपलब्ध न हो तो एसईसीआई द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त न्यूनतम टैरिफ ऐसे उपार्जन हेतु मान्य होगा।

घ) इस व्यवस्था के अधीन ऊर्जा का लेखांकन और समायोजन विनियम 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

12. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की भूमिका

12.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार प्रभावी रूप से करने हेतु मांग का संकलन एवं अन्य संबंधित गतिविधियॉ कर सकेगा।

12.2 डीआरई के प्रसार हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्य पक्ष स्वामी अथवा इंजिनियरिंग, उपार्जन एवं सन्निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार के रूप में कार्य कर सकेगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य पक्ष स्वामी या ईपीसी ठेकेदार के रूप में कार्य करने की दशा में, उसकी ऐसी गतिविधियों को टैरिफ विनियम के प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अन्य व्यवसाय का भाग माना जावेगा।

13. होस्टिंग क्षमताः

वितरण नेटवर्क से अंतरसंयोजित होने हेतु अनुज्ञात विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की सकल क्षमता संबंधित वितरण ट्रांसफार्मर की कुल क्षमता (100 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगीः

परंतु यह कि क्षमता से अधिक पीडीआरईएस की संस्थापना होने की दशा में वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाई जायेगी, ताकि उनकी संस्थापनाओं को मना न किया जा सके।

14. अंतरसंयोजन बिन्दु

14.1 नेट मीटरिंग की दशा में, इंटरफेस बिन्दु उपभोक्ता के परिसर में अर्थात प्रोज्युमर की ओर संस्थापित वह उपयुक्त मीटर होगा जो कि सीईए (मीटरों का संस्थापन एवं संचालन) विनियम, 2006 के अनुसार उपयुक्त हो।

15. आवेदन का अग्रेसरण एवं प्रक्रिया

15.1 आवेदन का प्रस्तुतिकरण

क) प्रोज्युमर (आवेदक), वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पर कार्यवाही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संपूर्ण रूप से ऑनलाईन हो।

ख) उस दशा में यदि आवेदक, न्यास/समिति/हाउसिंग सोसाइटी/भागीदारी फर्म/कंपनी आदि हो तो उसे आवेदन पत्र के साथ साथ प्राधिकार प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

ग) आवेदक, आवेदन के प्रस्तुतीकरण पर अभिस्वीकृति (इकनालेजमेंट) ईमेल/ संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस) प्राप्त करेंगे।

घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी संदर्भ एवं अभिलेख के लिए पृथक से एक आवेदन रजिस्टर (मैन्युअल या आनलाईन) संधारित करेगा।

15.2 आवेदन का अग्रेसरण

क) यदि आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाए तो उस पर कार्यवाही भी ऑनलाईन की जायेगी अर्थात् तकनीकी औचित्यता सहित अनुमोदन संबंधी पत्र, जो कि वेब पोर्टल द्वारा तैयार हो एवं उसे आवेदक को ई–मेल/एसएमएस के द्वारा संसूचित किया जायेगा।

ख) यदि ऑफलाईन प्रस्तुत आवेदन में कोई कमियॉ पायी जाती है तो ऐसी कमियॉ वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पावती जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को संसूचित की जायेगी।

ग) आवेदक संसूचन से 15 दिवस के भीतर सभी चिन्हित कमियों को दूर करेगा और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इसकी सूचना देगा।

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संशोधित आवेदन का मूल्यांकन करेगा और संतुष्ट होने पर अनुमोदन पत्र (एल.ओ.ए.) जारी करेगा। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं किया जाता तो आवेदन को निरस्त माना जायेगा।

15.3 संस्थापन के लिए अनुमोदन

क) आवेदक, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानको/संहिता के अनुसार अनुमोदन पत्र (एल.ओ.ए.) की प्राप्ति से 180 दिनों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करेगा।

ख) यदि आवेदक, 180 दिनों के भीतर ऊर्जा प्रणाली संस्थापन करने में विफल रहता है, तो वह एक बार अवधि बढ़ाने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी से निवेदन कर सकेगा।

15.4 अनुबंध पर हस्ताक्षर

क) एलओए के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक प्रणाली (वेब पोर्टल) द्वारा तैयार किये हुये अनुबंध को विधिवत पूरा कर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

ख) आवेदक से विधिवत रूप से तैयार किये गये नेट मीटरिंग अनुबंध के प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित/डिजीटली हस्ताक्षरित किया जायेगा।

15.5 मीटर की प्राप्ति

क) यदि आवेदक, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से मीटर प्राप्त करना चाहता है तो वह समुचित शुल्क के साथ संसूचना प्रपत्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऐसी संसूचना कार्य पूर्णता के प्रतिवेदन की प्रस्तुति की संभावित तिथि से कम से कम 30 दिवस पूर्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दी जायेगी।

ख) यदि आवेदक, अपना स्वयं का मीटर स्थापित करना चाहता है तो वह, अधिप्राप्त मीटर को सुरक्षा प्रमाण प्रत्र सहित आवश्यक प्रपत्र में उसकी (मीटर की) जॉच हेतु निवेदन करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित जॉच केन्द्रों के समक्ष कार्य पूर्णता रिपोर्ट के प्रस्तुति की संभावित तिथि से कम से कम 30 दिवस पूर्व प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह कि आवेदक द्वारा अधिप्राप्त किया गया मीटर, सीईए के समुचित तकनीकी मानकों के अनुरूप एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए।

परंतु यह और कि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर मीटर की अपेक्षित विशेषताओं/मापदण्ड को अधिसूचित करेगा।

ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रत्येक पारेषण और संधारण विभाग के उप कार्यालयों में मीटर परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी/परीक्षण केन्द्र, मीटर के परीक्षण के पूर्ण होने पर इसकी सूचना आवेदक को देगा।

15.6 कार्य की पूर्णता और प्रवर्तन

अ. 500 कि.वा. से अधिक की प्रणाली के आकार हेतु

(क) आवेदक, मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को कार्य पूर्णता प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी देगा। इस कार्य पूर्णता प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य की नोडल ऐजेंसी को भी दी जावेगी।

(ख) समुचित प्राधिकारी, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट हैं, कार्य के पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से 15 दिवस के भीतर प्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार उपरोक्त संस्थापित प्रणाली का निरीक्षण तथा सुरक्षा की जांच करेगा तथा सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा। इस समय सीमा में जॉच कार्य पूरा करने में विफल होने पर यह माना जायेगा कि प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

परंतु यह कि कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं होने की दशा में, आवेदक समुचित प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति से सात दिवस के भीतर चिन्हित विसंगतियों का समाधान करेगा तथा पुनः कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कार्य पूर्णता प्रतिवेदन के सत्यापन के पश्चात् जारी सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति से सात दिनों के भीतर उस प्रणाली को वितरण ग्रिड से सममेलित करेगा, मीटर संस्थापित करेगा और प्रणाली के संयोजन तथा प्रवर्तन की तिथि का पत्र आवेदक को देगा।

(ब) 500 कि.वा. से कम के प्रणाली के आकार हेतु

(क) आवेदक, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य के नोडल ऐजेंसी को भी देगा।

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से सात दिनों के भीतर, प्रचलित पद्धति के अनुसार प्रणाली के निरीक्षण और सुरक्षा की जांच करेगा तथा प्रणाली का संयोजन (ग्रिड से) करेगा।

परंतु यह कि कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं होने की दशा में, आवेदक समुचित प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति से सात दिवस के भीतर

चिन्हित विसंगतियों का समाधान करेगा तथा पुनः कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कार्य पूर्णता के प्रतिवेदन के सत्यापन के पश्चात् उस प्रणाली को ग्रिड से सममेलित करेगा, मीटर संस्थापित करेगा और संयेाजन तथा प्रवर्तन की तिथि का पत्र आवेदक को प्रदान करेगा।

16. ऊर्जा लेखांकन एवं व्यवस्थापन– नेट मीटरिंग

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियमित बिलिंग चक्र के अनुसार समस्त पीडीआरईएस की मीटर रीडिंग करेगा।

दो. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन मीटर तथा उभयमार्गीय उपभोक्ता मीटर दोनों की रीडिंग दर्ज करेगा।

तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को प्रत्येक देयक अवधि हेतु, उसके देयक में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगाः–

(क) उत्पादन मीटर में दर्ज डीआरई उत्पादन;

(ख) देयक अवधि में प्रारंभिक तथा अंतिम शेष को सम्मिलित करते हुए पीडीआरईएस द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत की मात्रा;

(ग) देयक अवधि में प्रारंभिक और अंतिम शेष को सम्मिलित करते हुये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त विद्युत की मात्रा;

(घ) विद्युत का वह शुद्ध देयक, जिसका भुगतान प्रोज्यूमर द्वारा किया जायेगा;

(ड.) नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) के निर्वहन हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त डीआरई उत्पादन;

(च) अंतिम देयक अवधि से अग्रनीत विद्युत की अतिरिक्त मात्रा;

(छ.) अगामी देयक अवधि में अग्रनीत विद्युत की अतिरिक्त मात्रा।

चार. यदि किसी देयक अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा अंतःक्षेपित विद्युत की मात्रा उसके द्वारा खपत की गई विद्युत की मात्रा से अधिक हो तो ऐसे आधिक्य को उसी व्यवस्थापन अवधि के दौरान उपयोग हेतु आगामी देयक अवधि में अग्रनीत किया जायेगा।

पांच. यदि किसी देयक अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त विद्युत की मात्रा, पीडीआरईएस द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत की मात्रा से अधिक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी पिछली देयक अवधि से अग्रनीत किसी विद्युत आधिक्य पर विचार करने के पश्चात् शुद्ध विद्युत खपत का बिल तैयार कर प्रस्तुत करेगा।

छः यदि प्रोज्युमर टाईम ऑफ डे टैरिफ, जैसा कि आयोग द्वारा समय–सयम पर निर्धारित किया जाए, की परिधि में आता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा–

(क) समय के किसी भाग (अर्थात् व्यस्ततम अथवा अधिक खपत का समय, सामान्य समय या कम खपत का समय आदि) में विद्युत के उपभोग को सर्वप्रथम समय के उसी भाग में विद्युत के उत्पादन से प्रतिपूर्त किया जायेगा।

(ख) किसी देयक चक्र के समय के किसी भाग में यदि विद्युत के उपभोग से उसका उत्पादन अधिक हो तो ऐसे आधिक्य को इस प्रकार लेखांकित किया जायेगा मानो विद्युत का वह आधिक्य किसी ऐसे निकटतम समय भाग में उत्पादित हुआ हो जब टैरिफ निम्नतर हो।

(ग) यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि पी.डी.आर.ई.एस. उत्पादन से निम्नतर टैरिफ वाले समय भागो से संपूर्ण विद्युत खपत का संमायोजन न हो जाए।

(घ) निम्नतर टैरिफ वाले समय भागों में खपत के समायोजन के पश्चात् उत्पादन को जो आधिक्य शेष हो उसे आगामी देयक चक्र में अग्रनीत किया जायेगा।

(ड.) यही प्रक्रिया, आगामी देयक चक्रों में खपत को समायोजित करने हेतु अपनायी जायेगी।

सात. व्यवस्थापन अवधि के अंत में विद्युत के आधिक्य के व्यवस्थापन विनियम 11(ग) के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।

परंतु यह कि प्रत्येक व्यवस्थापन अवधि अर्थात् अप्रैल के प्रारंभ में अग्रनीत विद्युत शून्य होगी।

आठ. [1]{किलोवाट घंटा (kWh)/kVAh में मापी गई अंतःक्षेपित बिजली का उपयोग केवल वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति किए गए kWh/kVAh को ऑफसेट करने के लिए किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए किसी अन्य शुल्क और शुल्क की भरपाई के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा। }[1]

नौ. यदि आयोग ने उपभोक्ता टैरिफ का निर्धारण किलोवोल्ट एम्पियर प्रतिघंटा के आधार पर किया हो तो उत्पादन तथा उपभोक्ता मीटर रीडिंग को भी किलोवोल्ट एम्पियर प्रतिघंटा में ही किया जायेगा और ऊर्जा का व्यवस्थापन भी तद्नुसार किया जायेगा।

दस. किसी देयक अवधि के दौरान प्रोज्युमर के पास उपलब्ध विद्युत के आधिक्य पर ध्यान दिये बिना, उपभोक्ता, समस्त अन्य प्रभारों जैसे कि नियत/मांग प्रभारों, शासकीय लेव्ही आदि का भुगतान निरंतर करता रहेगा।

ग्यारह. उस दशा के सिवाय जबकि प्रोज्युमर वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता न रह जाए अथवा पीडीआरईएस समय से पहले ही खराब हो जाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी पीडीआरईएस के जीवनकाल के आधार पर ऊर्जा स्वीकार करेगा।

बारह. उस दशा में जब प्रोज्युमर प्रणाली का परित्याग कर देता है, विद्युत के आधिक्य को असावधानी से किया गया अंतःक्षेपण माना जायेगा और वितरण अनुज्ञप्तिधारी इसके लिए कोई भुगतान नहीं करेगा।

तेरह. इन विनियमों के अधीन संस्थापित पीडीआरईएस को व्हीलिंग, क्रासससब्सीडी, पारेषण, वितरण तथा बैंकिग प्रभारों और समस्य अधिभारों से मुक्त रखा जायेगा।

17. मीटर के खराब होने/बंद होने अथवा जल जाने पर ऊर्जा का लेखांकन–

17.1 किसी मीटर के खराब हो जाने/बंद होने अथवा जल जाने की स्थिति में, प्रोज्युमर, विनिर्दिष्ट प्रारूप में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इसकी सूचना देगा।

17.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 के प्रावधानों के अनुसार मीटर को प्रतिस्थापित करेगा।

17.3 मीटर की खराबी के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत का मूल्यांकन मीटर रीडिंग के पिछले सात दिनों की औसत के आधार पर किया जायेगा।

17.4 आईडीआरईएस संयंत्र होने की दशा में, आईडीआरईएस के स्वामी द्वारा चेक मीटर में दर्ज ऊर्जा के मापन के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देयक जारी करने पर विचार किया जायेगा।

1. विनियम क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से प्रतिस्थापित

भाग–घ
स्वतंत्र विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली

18. पात्रता एवं परियोजना क्षमता

18.1 पात्रता

[1]{कोई भी व्यक्ति, पहले आओ–पहले पाओं के आधार पर स्वतंत्र विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली (आईडीआरईएस) स्थापित करने और उसे अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से अंतरसंयोजित करने का पात्र होगा।

परंतु ऐसा आईडीआरईएस, सीईए (संवितरित उत्पादन स्त्रोतों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप हो।}[1]

18.2 परियोजना विशेष की क्षमता

(क) किसी विशिष्ट स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा संस्थापित किये जाने वाली आईडीआरईएस की अधिकतम क्षमता, विद्युत प्रणाली की क्षमता तथा विन्यास और उस विकेन्द्रित उत्पादन स्रोत द्वारा कारित किये जाने वाले विद्युत के प्रवाह पर आधारित होगी।

[2]{परंतु यह कि इस व्यवस्था के तहत 31 अगस्त, 2023 तक स्थापित की जाने वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार, 500 किलोवाट होगा। इसके अलावा, इस तरह की दूरस्थ स्थित वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अधिकतम आकार, जो अपने कैप्टिव भार या खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की व्हीलिंग/ट्रांसमिशन की मांग करता है, जिसे इस व्यवस्था के तहत स्थापित किया गया है, यथास्थिति, अनुबंधित मांग का ढाई गुना (2.5 गुना) अथवा अनुज्ञप्तिधारी से वांछित खुली पहुंच मात्रा होगी।

इस व्यवस्था के तहत **आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो) के लिए** वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार, 100 किलोवाट या तो किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खण्ड में स्थित सिंगल कनेक्षन के माध्यम से या बहुविध कनेक्षनों के माध्यम से 100 किलोवाट होगा । इसके अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की संस्थापन के लिए, इसके कैप्टिव उपयोग या खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की व्हीलिंग/ट्रांसमिशन की कोई क्षमता सीमा नहीं होगी।}[2]

[1]{परंतु यह कि ऐसे आईडीआरईएस संयंत्र जो प्रोज्युमर के परिसर में हैं (लोड के स्थान पर सहस्थापित संयंत्र), ग्रिड में ऊर्जा का प्रवाह किसी भी समय (टाईम ब्लॉक) में संयोजित मांग/भार से अधिक नहीं होना चाहिये।}[1]

(ख) आईडीआरईएस के स्वामी को बैटरी भंडारण सहित विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की अनुमति होगी।

परंतु यह कि आईडीआरईएस से ग्रिड में ऊर्जा का प्रवाह, कभी भी आईडीआरईएस के निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिये।

19. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की भूमिका

19.1 आईडीआरईएस से ऊर्जा की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, आयोग अधिनियम की धारा 62 के अधीन फीड–इन–टैरिफ अधिसूचित करेगा।

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर आईडीआरईएस संयंत्र से विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति हेतु एक अनुबंध निष्पादित करेगा।

1. विनियम क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से प्रतिस्थापित
2. विनियम क्रमांक 106/सीएसईआरसी/2023 द्वारा दिनांक 16.10.2023 से प्रतिस्थापित

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण नेटवर्क से आईडीआरईएस संयंत्र को जोड़ने हेतु तकनीकी दिशा निर्देश तैयार करेगा तथा इन्हे आयोग से अनुमोदित करायेगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के तीन माह के भीतर प्रशासकीय प्रक्रिया अधिसूचित करेगा।

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरणीय ऊर्जा की वह मात्रा (क्वांटम) घोषित करेगा, जो प्रत्येक वितरण उप स्टेशन/फीडर में समाहित हो सकेगा।

19.2 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन बनाए गए विनियमों में किन्ही प्रावधानों के होते हुए भी कोई आईडीआरईएस प्रवर्तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजकता हेतु निर्धारित वोल्टेज स्तर से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकता के अनुरूप संविदा मॉग प्राप्त कर सकेगा

19.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 63 के अधीन आईडीआरईएस संयंत्र से विद्युत प्राप्त कर सकेगा।

परंतु यह कि ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने उस हेतु समुचित नीलामी बोली का दिशा–निर्देश जारी किया है।

19.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, बिना किसी पूर्वाग्रह के विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने में इच्छुक किसी व्यक्ति का आवेदन उस मामले के गुण–दोष के आधार पर स्वीकार करेगा।

परंतु यह कि ऐसी प्रणाली हेतु प्रयोज्य फीड इन टैरिफ, आयोग द्वारा या तो प्रकरण दर प्रकरण अथवा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु फीड इन टैरिफ के वार्षिक निर्धारण द्वारा जो भी लागू हो, निर्धारित किया जायेगा।

19.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आईडीआरईएस सयंत्रों से अर्जित ऊर्जा को अधिनियम की धारा 86(1) (ख) के अधीन अर्जित ऊर्जा माना जावेगा।

20. अंतर संयोजन बिन्दु

20.1 [1]{किसी आईडीआरईएस के मामले में अंतर संयोजन बिन्दु से तात्पर्य, अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के उपकेन्द्र या स्वीचयार्ड सहित उस बिन्दु से होगा जिसमें किसी आईडीआरईएस और अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के मध्य अंतर संयोजन स्थापित किया जाए और जहॉ अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली में अंतःक्षेपित विद्युत को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता हो।

परंतु यह कि अंतराफलक बिन्दु, सीईए (मीटरों का व्यवस्थापन और संचालन), विनियम, 2006 और उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों के अनुसार होगा।}[1]

[2]{21. खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) के लिए बैंकिंग और शुल्क (प्रभार), उद्ग्रहित किया जाना

	प्रभार (षुल्क)	**पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो।**	**आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)**
21.1	ट्रांसमिशन (पारेषण) शुल्क	आईडीआरईएस परियोजनाओं के संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शून्य।	ट्रांसमिशन (पारेषण) शुल्क, समय–समय पर लागू टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
21.2	व्हीलिंग शुल्क	आईडीआरईएस परियोजनाओं के संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शून्य।	व्हीलिंग शुल्क, समय–समय पर लागू टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
21.3	क्रॉस	आईडीआरईएस परियोजनाओं के संपूर्ण	जैसा कि समय–समय पर लागू टैरिफ

1. विनियम क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से प्रतिस्थापित

	प्रभार (षुल्क)	**पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो।**	**आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)**
	सब्सिडी सरचार्ज	उपयोगी जीवन के लिए शून्य।	आदेश में निर्दिष्ट है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र से, हरित ऊर्जा खरीदने वाले हरित ऊर्जा खुली पहुंच वाले उपभोक्ता को, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र के संचालन की तारीख से 12 वर्षों के दौरान वृद्धि नहीं की जाएगी।
21.4	एसएलडीसी की फीस और प्रभार (षुल्क)	आईडीआरईएस परियोजनाओं के संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शून्य।	जैसा कि समय–समय पर लागू टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट है।
21.5	स्टैंडबाय शुल्क	जैसा कि लागू टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट है।	टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी पर लागू ऊर्जा शुल्क का 125 प्रतिषत।
21.6	बैंकिंग और बैंकिंग प्रभार (षुल्क)	एक. बैंकिंग सुविधा, परियोजना की उपयोगी जीवन अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी।	एक. बैंकिंग सुविधा, परियोजना की उपयोगी जीवन अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी।
		दो. आंतरिक सहायक आवश्यकता (इन–हाउस ऑक्जिलरी रिक्वायरमेंट) के साथ उत्पादन को निवल (नेट) करने के बाद, 100 प्रतिषत ऊर्जा अंतःक्षेपण की बैंकिंग को, सभी कैप्टिव और खुली पहुंच खपत के लिए अनुमति दी जाएगी।	दों सभी कैप्टिव और ओपन एक्सेस खपत के लिये अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति के लिये प्रभारो के भुगतान पर मासिक आधार पर बैंकिंग की अनुमति दी जा सकेगी। हरित उर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा एकत्रित उर्जा की अनुमत मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्ति धारी से विद्युत की कुल मासिक खपत की कम से कम तीस प्रतिषत होगी। परंतु संगृहीत उर्जा के क्रेडिट को पष्चातवर्ती संग्रहण चक्रों मे आगो ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ओर इसे उसी संग्रहण चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा।
		तीन. बैंक ऊर्जा के 2 प्रतिषत की दर से बैंकिंग शुल्क, वस्तु रूप में (इन काइन्ड) देय होगा। बैंकिंग वर्ष, अप्रैल से मार्च तक होगा।	तीन. बैंक ऊर्जा के 2 प्रतिषत की दर से बैंकिंग शुल्क, वस्तु रूप में (इन काइन्ड) देय होगा। बैंकिंग वर्ष, अप्रैल से मार्च तक होगा।

	प्रभार (षुल्क)	**पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो।**	**आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)**
		चार. सामान्य अवधि (सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक या लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) और ऑफ–पीक लोड अवधि (रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक या लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) के दौरान भुनाई गई बैंक इकाइयों पर, कोई निकासी शुल्क नहीं होगा। शाम की पीक लोड अवधि (शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक या लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) के दौरान भुनाई गई बैंक ऊर्जा पर, अधिकतम निकासी शुल्क लगेगा, जो पीक लोड घंटों के दौरान आहरित ऊर्जा का 30 प्रतिषत होगा।	चार. सामान्य अवधि (सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक या लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) और ऑफ–पीक लोड अवधि (रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक या लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) के दौरान भुनाई गई बैंक इकाइयों पर, कोई निकासी शुल्क नहीं होगा। शाम की पीक लोड अवधि (शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक या लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) के दौरान भुनाई गई बैंक ऊर्जा पर, अधिकतम निकासी शुल्क लगेगा, जो पीक लोड घंटों के दौरान आहरित ऊर्जा का 30 प्रतिषत होगा।
		पांच. कैप्टिव उपयोग/तीसरे पक्ष के विक्रय के लिए, सिंक्रोनाइजेशन की तारीख से खुली पहुंच अनुमोदन तिथि तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को, डीम्ड ऊर्जा बैंक माना जाएगा। इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए, सिंक्रनाइजेशन की तारीख को, वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) के रूप में माना जाएगा।	पांच. कैप्टिव उपयोग/तीसरे पक्ष के विक्रय के लिए, सिंक्रोनाइजेशन की तारीख से खुली पहुंच अनुमोदन तिथि तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को, डीम्ड ऊर्जा बैंक माना जाएगा। इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए, सिंक्रनाइजेशन की तारीख को, वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) के रूप में माना जाएगा।
		छः. वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त बैंकीकृत ऊर्जा/ अधिशेष ऊर्जा, यदि कोई हो, को, पिछले वित्तीय वर्ष में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खोजे गए न्यूनतम रूफटॉप सौर टैरिफ पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय किया जाएगा। यदि ऐसा कोई टैरिफ उपलब्ध नहीं है, तो पिछले वित्तीय वर्ष में एसईसीआई	छः. प्रत्येक बैंकिंग चक्र के अंत में अप्रयुक्त बैंकीकृत ऊर्जा/ अधिशेष ऊर्जा, यदि कोई हो, को व्यपगत माना जाएगा और ऊर्जा उत्पादन केन्द्र, व्यपगत ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

	प्रभार (षुल्क)	पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो।	आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)
		द्वारा दिए गए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सबसे कम टैरिफ पर विचार किया जाएगा।	
		सात. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय के लिए, सिंक्रनाइजेशन की तारीख से वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पीपीए के प्रावधानों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के पहले वर्ष के टैरिफ पर खरीदी जाएगी।	सात. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विक्रय के लिए, सिंक्रनाइजेशन की तारीख से वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पीपीए के प्रावधानों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के पहले वर्ष के टैरिफ पर खरीदी जाएगी।
21.7	विचलन निपटान प्रभार (षुल्क)	एक. सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को, अनिवार्य रूप से चलने का दर्जा दिया जाएगा अर्थात् सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अंतःक्षेपण को, अनुसूचित माना जाएगा।	एक. सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को, अनिवार्य रूप से चलने का दर्जा दिया जाएगा अर्थात् सौर ऊर्जा परियोजनाओं से अंतःक्षेपण को, अनुसूचित माना जाएगा।
		दो. विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए किसी भी विनियमन में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, सभी आईडीआरईएस परियोजनाएं, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए शेड्यूलिंग और विचलन निपटान के अध्यधीन नहीं होंगी। तथापि, ग्रिड संचालन के लिए शेड्यूलिंग लागू होगी।	दो. विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए किसी भी विनियमन में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, सभी आईडीआरईएस परियोजनाएं, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए शेड्यूलिंग और विचलन निपटान के अध्यधीन नहीं होंगी। तथापि, ग्रिड संचालन के लिए शेड्यूलिंग लागू होगी।
21.8	अतिरिक्त सरचार्ज	निरंक।	यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा नियत प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है, तो हरित उर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिये अतिरिक्त अधिभार लागु नहीं होगा।

21.9 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी सौर क्षमता वृद्धि की निगरानी और प्रदर्शन के लिये नोडल एजेंसी होगी। यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

अपने पोर्टल पर प्रदर्शित करेगी। सौर परीयोजनाओं की क्षमता वृद्धि की स्थिति पाक्षिक रूप से अद्यतन की जायेगी।

21.10 पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो, के लिये ये प्रावधान 01 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाले बिलिंग चक्र के लिये लागू होंगे।

21.11 याचिका क्रमांक 61/2020 में जारी आदेश दिनांक 18.04.2022 का पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो, पर लागू होगा।}[2]

भाग—ड.

अधिकार संरचना, संस्थागत ढांचा, भूमिकायें एवं उत्तरदायित्व

22. हितधारकों की भूमिका

22.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी की भूमिका

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को संयोजित करने के लिये उपलब्ध फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर की धारण (होस्टिंग) क्षमता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराया जायेगा। तदुपरांत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की संचयी स्थापित क्षमता तथा उपलब्ध होस्टिंग क्षमता को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अंतर्गत स्थापित विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के प्रकार और क्षमता को सम्मिलित करते हुए विकेन्द्रित नवीकरणनीय ऊर्जा प्रणाली संबंधी अभिलेख रखेगा और आयोग को इसका त्रैमासिक प्रतिवेदन पिछली तिमाही के समापन से पन्द्रह दिवस के भीतर देगा एवं इसकी जानकारी राज्य की नोडल एजेंसी को भी देगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना से एक माह के भीतर इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मानक ''अनुबंध'' के प्रारूप को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया अंगीकृत एवं अधिसूचित करेगा तथा हितधारकों की जानकारी हेतु अपने वेबसाइट पर इन्हें अपलोड करेगा।

(घ) [1]{वितरण प्रणाली पर डीआरई प्रणाली के प्रवेश के प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी और तकनीकी अध्ययन करेगा और इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

(ड) भंडारण प्रणाली के विभिन्न प्रकारों के वितरण प्रणाली पर प्रभाव का आंकलन करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधिसूचन से छः माह के भीतर तकनीकी अध्ययन करेगा और इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

(च) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु समुचित उपक्रम द्वारा संचालित व्यापार प्रतिमानो जैसे मांग एकत्रीकरण, अन्य पक्ष स्वामी, ईपीसी अन्य राज्यों के उत्तम कार्यो आदि का अन्वेषण करेगा।

2. विनियम क्रमांक 106/सीएसईआरसी/2023 द्वारा दिनांक 16.10.2023 से प्रतिस्थापित

इसके अतिरिक्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे टी.ओ.डी. टैरिफ के प्रस्ताव का अन्वेषण करेगा, जिससे प्रोज्युमर संचित सौर ऊर्जा का स्वयं के उपयोग हेतु भंडारण करे अथवा खपत की अधिकता के समय ग्रिड में डाले।}[1]

(छ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु समुचित उपक्रम द्वारा संचालित व्यापार प्रतिमानो जैसे मांग एकत्रीकरण, अन्य पक्ष स्वामी, ईपीसी आदि का अन्वेषण करेगा।

23. डीआरई सलाहकार समिति

23.1 आयोग, इन विनियमों के अधीन डीआरई की योजना को क्रियान्वित करने हेतु डीआरई सलाहकार समिति अधिसूचित करेगा।

23.2 सलाहकार समिति उसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन हेतु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक करेगी तथा इसकी कार्यवाहियों का विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

23.3 समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:–

[1]{(क) राज्य की नोडल एजेंसी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी– सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य ऊर्जा विभाग से प्रतिनिधि;

(ग) राज्य के वितरण उपक्रम के डी.आर.ई. सेल का प्रभारी– सलाहकार समिति का पदेन सचिव तथा संयोजक;

(घ) राज्य के नोडल एजेंसी (एसएनए) से प्रतिनिधि;

(ड.) विद्युत निरीक्षक कार्यालय से प्रतिनिधि;

(च) विभिन्न शासकीय विभागों से दो स्वतंत्र बाह्य सदस्य;

(छ) उपभोक्ताओं अथवा घरेलू, व्यवसायिक तथा औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपभोक्ता संगठनों की ओर से तीन प्रतिनिधि;}[1]

23.4 डीआरई सलाहकार समिति के कार्य

(क) उपभोक्ता हितैषी प्रक्रियाओं, देयक प्रणाली आदि के विकास के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को सलाह देना।

(ख) डीआरई प्रभाव के मूल्यांकन, भार प्रवाह के अध्ययन आदि के लिए तकनीकी मानकों का उन्नयन करना।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिये रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का उन्नयन करना।

(घ) डीआरई प्रणाली तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य डेटा विनिमय हेतु मानकों का उन्नयन करना।

(ड.) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य हितधारकों के मध्य जानकारियों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करना।

(च) समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को साझे कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना।

(छ) प्रशिक्षण/क्षमता वर्धन हेतु साझे कार्यक्रमों का उन्नयन करना।

(ज) साझी निगरानी तथा रिपोर्टिंग संरचना तथा डेटाबेस के अनुरक्षण के उन्नयन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को सलाह देना।

(झ) ऐसे मुद्दों पर आयोग को सहायता करना जो उसको सौंपे जायें।

1. विनियम क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से प्रतिस्थापित

24. विकेन्द्रित नवीकृत ऊर्जा (डीआरई) सेल

24.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति के क्षेत्र में डीआरई के प्रति स्तारण को प्रोत्साहित करने हेतु एक आंतरिक डीआरई सेल गठित करेगा।

24.2 डीआरई सेल इन विनियमों के अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर गठित किया जायेगा।

24.3 डीआरई सेल का नेतृत्व एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

24.4 इन विनियमों के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सौंपे गये कार्यों के निष्पादन हेतु, डीआरई सेल को आवश्यक प्राधिकार एवं संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

24.5 डीआरई सेल के कार्य

(क) अंतर संयोजन अग्रसरण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाना।

(ख) डीआरई आवेदनों के अग्रसरण के लिये वेब आधारित आवेदन प्रणाली को सुनिश्चित करना एवं उसका प्रबंध करना।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण केन्द्र द्वारा डीआरई प्रणाली की ऑनलाइन निगरानी हेतु तंत्र का विकास करना एंव जांच करना।

(घ) नियामक अनुमोदन प्राप्त करना।

(ड.) राज्य में डीआरई प्रणाली स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना।

(च) डीआरई के संबंध में क्षेत्र अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(छ) अग्रसरण एवं प्रकियाओं में परिवर्तन के बारे में क्षेत्र अधिकारियों को अवगत कराना।

(ज) इन विनियमों के प्रावधानो के प्रति उत्तरदायी होकर बिलिंग की प्रक्रिया/प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना।

(झ) इन विनियमों के अधीन यथा परिकल्पित निगरानी और रिपोर्टिंग का दायित्व लेना।

(ञ) डीआरई सलाहकार समिति के साथ समन्वय करना तथा उसके साथ बैठक में उपस्थित होना।

(ट) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिस्पर्धी बोली (नीलामी) के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने का निर्णय लेता है, तो मानक दस्तावेज तैयार करना, जैसे हितों की अभिव्यक्ति, आरएफपी, ऊर्जा क्रय एवं ऊर्जा विक्रय अनुबंध, त्रिपक्षीय अनुबंध इत्यादि।

(ठ) डीआरई स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति हेतु योजना बनाना।

(ड) डीआरई प्रणाली से संग्रहित डेटा का विश्लेषण करने का दायित्व लेना।

भाग–च
विविध

25. शास्ति या क्षतिपूर्ति

25.1 इन विनियमों के अधीन विहित समय–सीमा मे कार्य पूरा करने में असफल होने की दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विलंब के प्रत्येक दिन हेतु रू. 1000 प्रतिदिन की दर से शास्ति उद्ग्रहित की जायेगी।

25.2 इन विनियमों के अधीन किसी वर्ष के दौरान प्रोद्भूत शास्ति की कटौती वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उस वर्ष की अंशपूंजी से की जायेगी।

26. निर्देश देने की शक्ति

समय–समय पर आयोग द्वारा ऐसे निर्देश व आदेश जारी किए जा सकेंगें जिन्हें इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु समुचित समझा जाये।

27. शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग, स्वविवेक से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, उन पक्षकारों को, जिनके प्रभावित होने की संभावना हो, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी सामान्य सा विशेष आदेश द्वारा, इन विनियमें के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

28. संशोधन करने की शक्ति

आयोग समय–समय पर, इन विनियमों के किसी प्रावधान में, (आवश्यक होने पर) कोई जोड़, बदलाव, परिवर्तन, निलंबन, उपांतरण, संशोधन अथवा निरसन कर सकता है।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग, आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान निर्मित कर सकेगा, जो कि अधिनियम के उपबंधों तथा इन विनियमों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हो।

30. निरसन एवं व्यावृत्ति

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छतोपरि पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजना से विद्युत के उपार्जन हेतु टैरिफ का अवधारण) विनियम, 2013 द्वारा शासित विद्यमान सौर छतोपरि परियोजना उसी रूप में नियमित रूप से शासित होती रहेंगी तथा इस विनियमों द्वारा शासित नहीं होगी।

परन्तु यह कि ऐसी सौर छतोपरि परियोजना इन विनियमों के अधीन पात्र होने का विकल्प ले सकेगी।

[1]{परन्तु यह भी, कि ये विनियम उन संयंत्रों को भी लागू होंगे, जो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं अथवा जिनका मूल विनियमों के अधिसूचन के पश्चात्, आई.डी. आर.ई.एस. के रूप में सी.ओ.डी. हो चुका है। }[1]

आयोग के आदेशानुसार,

(एस.पी. शुक्ला)
सचिव

1. विनियम क्रमांक 93 / सीएसईआरसी / 2021 द्वारा दिनांक 27.12.2021 से प्रतिस्थापित